**न्यायमूर्ति एम.एम.एस.बेदी** के समूक्ष ,

**विजेंदर सिंह-याचिकाकर्ता**

**बनाम**

**शमशेर सिंह-प्रतिवादी**

**2009 का सीआर नंबर 3699**

**27 मार्च 2012**

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 227 - सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - आदेश 6 नियम 17 - दिनांक 6/10/2006 को बेचने के समझौते के अनुसार वादी के पास संपत्ति का कब्ज़ा - संपूर्ण बिक्री प्रतिफल का भुगतान - वादी ने रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया प्रतिवादी को अपने कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोकें - मुकदमे के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी ने दावे को विफल करने के लिए बेटों के पक्ष में रिलीज डीड का भुगतान किया - वादी ने मुकदमा वापस लेने और विशिष्ट प्रदर्शन के लिए नया मुकदमा दायर करने की अनुमति के लिए आवेदन दायर किया - आवेदन दिनांक 5/5 के आदेश के तहत ट्रायल कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया /2008 - अगले 3 दिनों के भीतर, वादी ने विशिष्ट प्रदर्शन की राहत को शामिल करने और रिलीज डीड को अलग करने के लिए याचिकाओं में संशोधन करने के लिए Order 6 नियम 17 के तहत एक आवेदन दायर किया - आवेदन खारिज कर दिया गया - स्पष्ट रूप से दलीलों में संशोधन के लिए आवेदन दायर किया गया था विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक मुकदमे के लिए निर्धारित सीमा अवधि - साक्ष्य शुरू नहीं हुआ था - प्रतिवादी-प्रतिवादी को पर्याप्त लागत के भुगतान के अधीन ट्रायल कोर्ट द्वारा संशोधन की अनुमति दी जा सकती थी।

-पुनरीक्षण याचिका मंजूर।

यह अभिनिर्णीत किया गया है कि दोनों पक्षों के विद्वान वकील को सुनने और वर्तमान मामले में घटनाओं के अनुक्रम को ध्यान से देखने के बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि वादी-याचिकाकर्ता ने नए

सिरे से मुकदमा दायर करने की स्वतंत्रता के साथ सीमा अवधि के भीतर निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा वापस लेने की मांग की थी, लेकिन कहा कि अनुमति अस्वीकार कर दी गई है। अगले तीन दिनों के भीतर, वादी-याचिकाकर्ता ने विशिष्ट प्रदर्शन की दलील को शामिल करने और रिलीज डीड को चुनौती देने के लिए वादी में संशोधन के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसे कथित तौर पर प्रतिवादी द्वारा वादी के अधिकारों को पराजित करने के कथित उद्देश्य से निष्पादित किया गया था। विशिष्ट प्रदर्शन की तलाश करें. इसके अलावा, ऐसा प्रतीत होता है कि जब संशोधन के लिए आवेदन दायर किया गया था तो वादी-याचिकाकर्ता द्वारा कोई सबूत पेश नहीं किया गया था।

जैसा कि पंकजा के मामले (सुप्रा) के फैसले में कहा गया है, दलीलों में संशोधन की अनुमति देने या अस्वीकार करने का कोई सीधा फॉर्मूला नहीं है, प्रत्येक मामला उस मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है। किसी संशोधन की अनुमति देने या न देने का अधिकार क्षेत्र विवेकाधीन है और इसका प्रयोग उन तथ्यों और परिस्थितियों के विवेकपूर्ण मूल्यांकन में किया जाना चाहिए जिनमें संशोधन की मांग की गई है। यदि संशोधन की अनुमति देना वास्तव में न्याय के अंतिम उद्देश्य को पूरा करता है और आगे की मुकदमेबाजी से बचाता है, तो आम तौर पर इसकी अनुमति दी जानी चाहिए, यदि संशोधन मुकदमे की मूल संरचना में बदलाव नहीं करता है। वर्तमान मामले में, वादी किसी अन्य संपत्ति से संबंधित विवाद को शामिल नहीं करना चाहता है, लेकिन संपत्ति का विषय वही रहता है। 6 अक्टूबर 2006 के बिक्री समझौते के आधार पर विवादित संपत्ति में 1/6वां हिस्सा मांगने के अलावा 7 नवंबर 2006 को रिलीज डीड के निष्पादन की बाद की घटना को चुनौती देने की मांग की गई है। विशिष्ट निष्पादन के लिए निर्धारित सीमा अवधि. इसके अलावा, संपत कुमार बनाम के फैसले में निर्धारित सभी संशोधनों पर वापस संबंधित सिद्धांत सख्ती से लागू नहीं होता है। अय्याकोन्नु और अन्य, (2002) 7 एससीसी 559। न्यायालय के लिए यह हमेशा विवेकाधीन होता है कि वह उस तारीख से संबंधित आदेश पारित करे जिसके प्रभाव से विरोधी पक्ष के हितों की रक्षा के लिए संशोधन की अनुमति होगी, जहां तक कि उसकी याचिका का संबंध है। सीमा का संबंध है. ट्रायल कोर्ट ने संशोधन की राहत को अस्वीकार करने और वादी पर

गंभीर प्रतिकूल प्रभाव डालने में अवैध रूप से काम किया है। प्रतिवादी-प्रतिवादी को पर्याप्त लागत के भुगतान के अधीन ट्रायल कोर्ट द्वारा संशोधन की अनुमति दी जा सकती थी।

(पैरा 7)

**न्यायमूर्ति एम.एम.एस. बेदी,**

(1) वादी-याचिकाकर्ता, स्थायी निषेधाज्ञा के लिए अपने मुकदमे में विशिष्ट प्रदर्शन की दलील को शामिल करने की मांग करने वाले याचिकाकर्ता द्वारा दायर आदेश 6 नियम 71 सीपीसी के तहत एक आवेदन को खारिज करने के 3 जून 2009 के आदेश से व्यथित महसूस करते हुए, इस पुनरीक्षण याचिका को प्राथमिकता दी है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का उपयोग करते हुए। आवेदन को खारिज करते समय ट्रायल कोर्ट ने निम्नलिखित कारकों पर विचार किया:-

(i) 6 अक्टूबर 2006 को बिक्री के समझौते के लिए विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमा दायर करने की कार्रवाई का कारण वादी को पहले ही मिल चुका था जब 27 नवंबर 2006 को मुकदमा दायर किया गया था, प्रतिवादी को कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा के लिए वादीयाचिकाकर्ता भूमि पर मुकदमा:

(ii) विशिष्ट प्रदर्शन के सूट के लिए नए साक्ष्य की आवश्यकता होगी

वर्तमान मुकदमे में पार्टियों द्वारा उत्पादित जो कार्रवाई के नए कारण की शुरूआत के बराबर होगा;

(iii) मुद्दे पहले ही न्यायालय द्वारा तय किए जा चुके हैं;

(iv) मुकदमा पहले ही शुरू हो चुका है;

(v) वादी मुकदमा शुरू होने से पहले वादपत्र में संशोधन करने में अपनी तत्परता दिखाने में विफल रहा।

(2) यह समझने के लिए कि क्या संशोधन वास्तव में न्याय के अंतिम उद्देश्य की पूर्ति करता है और आगे की मुकदमेबाजी से बचता है, मैंने वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया था। 'वादी याचिकाकर्ता ने आदेश 39 नियम 1 और 2 सीपीसी के तहत एक आवेदन के साथ प्रतिवादी-प्रतिवादी को मुकदमे की भूमि पर शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप न करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमा दायर किया था, जिसमें दावा किया गया था कि वादी-याचिकाकर्ता को जमीन पर कब्जा कर लिया गया था। 6 अक्टूबर 2006 के विक्रय समझौते के आधार पर, जिसे प्रतिवादी द्वारा विवाद में भूमि पर पूरा विचार करने के बाद निष्पादित किया गया था और मुकदमे की लंबितता के दौरान, वादी को पता चला कि प्रतिवादी को विवाद में भूमि का रिहाई विलेख भुगतना पड़ा था। एक गुप्त उद्देश्य से वाद भूमि पर याचिकाकर्ता के दावे को विफल करने के लिए अपने पुत्रों का पक्ष लिया। उक्त परिस्थितियों को देखते हुए, याचिकाकर्ता ने विशिष्ट प्रदर्शन के लिए नए सिरे से मुकदमा दायर करने की अनुमति के साथ मुकदमा वापस लेने की अनुमति के लिए एक आवेदन दायर किया था, लेकिन ट्रायल कोर्ट द्वारा अनुमति नहीं दी गई थी। अनुमति अस्वीकार किए जाने के मद्देनजर, याचिकाकर्ता ने विशिष्ट प्रदर्शन की राहत की मांग करने और पहले दावा की गई राहत के साथ जारी किए गए विलेख को अलग करने के लिए वाद में संशोधन के लिए ऑर्डर 6 नियम 17 सीपीसी के तहत एक आवेदन दायर किया, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने आक्षेपित आदेश के तहत उक्त आवेदन को खारिज कर दिया। . वर्तमान मामले में मुद्दे पहले ही तय किए जा चुके हैं लेकिन वादी की ओर से अभी तक सबूत पेश नहीं किए गए हैं।

(3) वादी-याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि एक बार निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा वापस लेने की स्वतंत्रता खारिज कर दी गई है, तो वादी-याचिकाकर्ता के लिए मुकदमे के लंबित रहने के दौरान निष्पादित रिलीज डीड को चुनौती देना संभव नहीं है। प्रतिवादी द्वारा. वादी-याचिकाकर्ता का दावा है कि बिक्री समझौते के अनुसार उसे पहले ही कब्ज़ा दिया जा चुका है। 6 अक्टूबर 2006 के बिक्री समझौते के विशिष्ट निष्पादन की राहत कार्रवाई का कारण उत्पन्न होने के

बाद तीन साल के भीतर मांगी जा सकती थी। मुकदमा वापस लेने के लिए आवेदन नए सिरे से मुकदमा दायर करने की स्वतंत्रता के साथ दायर किया गया था, लेकिन उक्त आवेदन 5 मई, 2008 को खारिज कर दिया गया था। ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित 5 मई, 2008 के आदेश की प्रति रिकॉर्ड पर रखी गई है। 5 मई, 2008 को, जब मुकदमा वापस लेने का आवेदन विचार के लिए आया, तो ट्रायल कोर्ट ने निम्नलिखित आदेश पारित किया: -

"वादी के लिए विद्वान वकील ने एक बयान दिया कि वह विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमा दायर करना चाहता है। इसलिए, फ़ाइल को एक नया मुकदमा प्रस्तुत करने के साथ वर्तमान मुकदमे को वापस लिया गया मानकर खारिज किया जा सकता है। हालाँकि, दलीलों के अवलोकन से, यह पता चलता है कि 27.11. .06, जब वादी द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए वर्तमान मुकदमा दायर किया गया था, तो विशिष्ट प्रदर्शन का मुकदमा दायर करने की कार्रवाई का कारण पहले ही अर्जित हो चुका था। इसलिए, नया मुकदमा झूठ नहीं होगा। इस स्तर पर, वादी के विद्वान वकील ने प्रार्थना की है दलीलों में संशोधन के लिए एक आवेदन पेश करने के लिए स्थगन मंजूर किया गया। विरोध नहीं किया गया। अब इसके लिए 1.8.08 को सुनवाई होगी।

एसडी/-वाणी गोपाल शर्मा, एसीजे (एसडी), जिंद, 5.5.2008"

(4) मुद्दे 2 जनवरी 2008 को तय किए गए थे, वादी के साक्ष्य के लिए मामला 8 अप्रैल 2008 को तय किया गया था जबकि संशोधन के लिए आवेदन 5 मई के उपरोक्त आदेश के बाद 8 मई 2008 को दायर किया गया था। 2008 बीत चुका था. स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा वापस लेने या संशोधन की मांग करने का वादी का प्रयास विशिष्ट प्रदर्शन के लिए निर्धारित सीमा अवधि के भीतर किया गया था। हालाँकि, संशोधन के लिए आवेदन 3 जून 2009 को अस्वीकार कर दिया गया था। संशोधन के लिए आवेदन की तारीख पर वादी-याचिकाकर्ता द्वारा दावा की गई राहत परिसीमन के कारण वर्जित नहीं लगती है। अन्यथा भी, एलआर और अन्य द्वारा पंकजा और अन्य बनाम येलप्पा (डी) में, इसे इस प्रकार देखा गया है: -

"इस संबंध में कानून भी बिल्कुल स्पष्ट और सुसंगत है कि ऐसा कोई पूर्ण नियम नहीं है कि हर मामले में जहां सीमा के कारण राहत रोक दी गई है, वहां संशोधन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ऐसे मामलों में विवेकाधिकार मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है किसी संशोधन को अनुमति देने या न देने का क्षेत्राधिकार विवेकाधीन होने के कारण, उन तथ्यों और परिस्थितियों के विवेकपूर्ण मूल्यांकन में प्रयोग किया जाना चाहिए जिनमें संशोधन की मांग की गई है। यदि संशोधन देना वास्तव में न्याय के अंतिम उद्देश्य को पूरा करता है और टालता है आगे भी मुकदमेबाजी की अनुमति दी जानी चाहिए। दलीलों में संशोधन की अनुमति देने या अस्वीकार करने के लिए कोई सीधा-सीधा फॉर्मूला नहीं हो सकता है। प्रत्येक मामला उस मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है।"

(5) उपरोक्त टिप्पणियाँ करते समय, शीर्ष न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों पर विचार किया था:

(i) एल.जे. लीच एंड कंपनी लिमिटेड और दूसरा बनाम मेस जार्डिन स्किनर एंड कंपनी, जिसमें यह माना गया था कि संशोधन की अनुमति देने के लिए विवेक का प्रयोग करते समय सीमा की सीमा निश्चित रूप से ध्यान में रखा जाने वाला एक कारक है, लेकिन यह प्रभावित नहीं करता है यदि न्याय के हित में आवश्यक हो तो आदेश देने की न्यायालय की शक्ति।

(ii) टी.एन. मिश्र धातु फाउंड्री कंपनी ढक्कन। बनाम टी.एन. इलेक्ट्रिसिटीबोर्ड और अन्य, जिसमें यह माना गया है कि दलीलों में संशोधन के लिए आवेदन को केवल इसलिए अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इसका इस आधार पर विरोध किया गया है कि यह सीमा से वर्जित है।

(iii) रागु थिलक डी. जोलन बनाम एस.रायप्पन और अन्य, जिसमें यह माना गया है कि संशोधन के माध्यम से मांगे गए अवशेष समय से बाधित थे, मामले की परिस्थितियों में बहस योग्य है और विवादित होने की सीमा की दलील को एक बनाया जा सकता है इस मुद्दे की विषय वस्तु में संशोधन की अनुमति देने के बाद प्रार्थना की गई।

(6) प्रतिवादी-प्रतिवादी के विद्वान वकील ने विद्याहाई और अन्य पर भरोसा किया है। बनाम पद्मलता और अन्य, जिसमें यह माना गया है कि परीक्षण शुरू होने से पहले संशोधन की अनुमति दी जा सकती है और इसे केवल तभी अनुमति दी जा सकती है जब पार्टियों के बीच वास्तविक विवाद का फैसला करना आवश्यक हो। वर्ष 2002 के बाद आदेश 6 नियम 17 सीपीसी के संशोधित प्रावधानों को अनिवार्य रूप में शामिल किया गया। प्रतिवादी के वकील ने अलकापुरी सहकारी आवास पर भी भरोसा किया है सोसायटी लिमिटेड, बनाम जयंतीभाई नागिनभाई (मृतक) एलआर के माध्यम से। , जिसमें यह माना गया कि संशोधन की अनुमति देने की विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग तब भी किया जा सकता है, जब मुकदमा परिसीमा द्वारा वर्जित हो, लेकिन एक संशोधन जो मुकदमे की मूल संरचना को बदलने के लिए उपयुक्त होगा, अस्वीकार्य होगा। अजेंद्रप्रसादजी पांडे और अन्य बनाम स्वामी केशवप्रकाशदासजी एन. और अन्य के फैसले पर बहुत जोर दिया गया था, यह तर्क देने के लिए कि जब मुद्दों का निपटारा हो जाता है और साक्ष्य की रिकॉर्डिंग के लिए मामला निर्धारित किया जाता है तो दलीलों में संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(7) दोनों पक्षों के विद्वान वकील को सुनने और वर्तमान मामले में घटनाओं के अनुक्रम को ध्यान से देखने के बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि वादी-याचिकाकर्ता ने नए सिरे से मुकदमा दायर करने की स्वतंत्रता के साथ सीमा अवधि के भीतर निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा वापस लेने की मांग की थी, लेकिन कहा कि अनुमति अस्वीकार कर दी गई है। अगले तीन दिनों के भीतर, वादी-याचिकाकर्ता ने विशिष्ट प्रदर्शन की दलील को शामिल करने और रिलीज डीड को चुनौती देने के लिए वादी में संशोधन के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसे कथित तौर पर प्रतिवादी द्वारा वादी के अधिकारों को पराजित करने के कथित उद्देश्य से निष्पादित किया गया था। विशिष्ट प्रदर्शन की तलाश करें. इसके अलावा, ऐसा प्रतीत होता है कि जब संशोधन के लिए आवेदन दायर किया गया था तो वादी-याचिकाकर्ता द्वारा कोई सबूत पेश नहीं किया गया था। जैसा कि पंकजा के मामले (सुप्रा) के फैसले में कहा गया है, दलीलों में संशोधन की अनुमति देने या अस्वीकार करने का कोई सीधा फॉर्मूला नहीं है, प्रत्येक मामला उस मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है। किसी संशोधन की

अनुमति देने या न देने का अधिकार क्षेत्र विवेकाधीन है और इसका प्रयोग उन तथ्यों और परिस्थितियों के विवेकपूर्ण मूल्यांकन में किया जाना चाहिए जिनमें संशोधन की मांग की गई है। यदि संशोधन की अनुमति देना वास्तव में न्याय के अंतिम उद्देश्य को पूरा करता है और आगे की मुकदमेबाजी से बचाता है, तो आम तौर पर इसकी अनुमति दी जानी चाहिए, यदि संशोधन मुकदमे की मूल संरचना में बदलाव नहीं करता है। वर्तमान मामले में, वादी किसी अन्य संपत्ति से संबंधित विवाद को शामिल नहीं करना चाहता है, लेकिन संपत्ति का विषय वही रहता है। 6 अक्टूबर 2006 के बिक्री समझौते के आधार पर विवाद में चल रही संपत्ति में 1/6वां हिस्सा मांगने के अलावा 7 नवंबर 2006 को रिलीज डीड के निष्पादन की बाद की घटना को चुनौती देने की मांग की गई है। सीमा अवधि के भीतर संशोधन की मांग की गई थी विशिष्ट प्रदर्शन के लिए निर्धारित. इसके अलावा, संपत कुमार बनाम अय्याकोन्नु और अन्य के फैसले में निर्धारित सभी संशोधनों पर वापस संबंधित सिद्धांत सख्ती से लागू नहीं होता है। न्यायालय के लिए यह हमेशा विवेकाधीन होता है कि वह उस तारीख से संबंधित आदेश पारित करे जिसके प्रभाव से विपरीत पक्ष के हितों की रक्षा के लिए संशोधन की अनुमति होगी, जहां तक परिसीमा की दलील का संबंध है। ट्रायल कोर्ट ने संशोधन की राहत को अस्वीकार करने और वादी पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव डालने में अवैध रूप से काम किया है। प्रतिवादी-प्रतिवादी को पर्याप्त लागत के भुगतान के अधीन ट्रायल कोर्ट द्वारा संशोधन की अनुमति दी जा सकती थी।

(8) पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाती है। 3 जून 2009 के आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाता है। वादी द्वारा दायर संशोधन के लिए आवेदन को 20000/- रुपये की लागत के भुगतान के अधीन स्वीकार किया जाता है। यह आदेश दिया जाता है कि वर्तमान मामले में संशोधन को 1.1.2020 से अनुमति दी गई समझी जाएगी। 8 मई, 2008, वह तारीख जब वादी द्वारा लागत के भुगतान के अधीन परिसीमा की याचिका उठाने के प्रतिवादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संशोधन के लिए आवेदन दायर किया गया था। सुनवाई की अगली तारीख पर पक्ष ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश होंगे।

**अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अँग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।**

Checked By:

Ravleen Kaur

Trainee Judicial Officer

Chandigarh Judicial Academy,

Chandigarh